भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 3619

सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक)

दैनिक भत्ता और महंगाई भत्ता

3619. श्री पी०के० कुन्हालीकुट्टी:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2020 से दैनिक भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) देय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को देय डीए/डीआर की प्रमात्रा कितनी है और यह वृद्धि की गई राशि कब तक संवितरित की जाएगी?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क), (ख) और (ग): जी, हां। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्रमश: केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रदान की जाती है और सामान्यत: इसका भुगतान क्रमश: मार्च और सितम्बर माह में किया जाता है। महंगाई भत्ते/महंगाई राहत की दर की घोषणा मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात् की जाएगी।

******